महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद् की 19 वीं बैठक

29 जुलाई, 2013

सुबह 11.00 बजे

सभा–कक्ष

भाषा–विद्यापीठ

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 19वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता मे 29 जुलाई 2013 को सुबह 11.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए:–

1	श्री विभूति नारायण राय	अध्यक्ष / कुलपति
2	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	सदस्य / प्रतिकुलपति
3	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	सदस्य
4	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य
5	प्रो. देवराज	सदस्य
6	प्रो. अनिल कुमार राय	सदस्य
7	प्रो. सुरेश शर्मा	सदस्य
8	प्रो. मनोज कुमार	सदस्य
9	प्रो. शंभू गुप्त	सदस्य
10	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	सदस्य
11	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	सदस्य
12	डॉ. फरहद मलिक	सदस्य
13	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	सदस्य
14	प्रो. विजय कुमार कौल	सदस्य
15	डॉ. जयप्रकाश राय	सदस्य
16	श्री जगदीप सिंह डांगी	सदस्य
17	डॉ. अन्नपूर्णा सी	सदस्य
18	डॉ. कृपाशंकर चौबे	सदस्य
19	डॉ. मनोज कुमार राय	सदस्य
20	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	सदस्य
21	सुश्री सुप्रिया पाठक	सदस्य
22	डॉ. रवि कुमार	सदस्य
23	प्रो. दिविक रमेश	बाह्य सदस्य
24	प्रो. रंजना अरगड़े	बाह्य सदस्य
25	श्री राजकुमार	सदस्य
26	सुश्री शेल्लिना थोइजम	सदस्य
27	डॉ. कैलाश खामरे	पदेन सचिव / कुलसचिव

सबसे पहले डॉ. कैलाश खामरे, कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय कुलपति से कार्यवाही प्रारंभ करने की इजाजत मांगी। सम्माननीय सदस्य प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल ने यह प्रस्ताव रखा कि सभा की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व माननीय कुलपति श्री विभूति नारायण राय की माताजी स्वर्गीय सरस्वती राय के निधन पर सभी सदस्य 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। विद्या–परिषद् के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रख स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती राय के निधन पर शोक व्यक्त किया।

सभा के प्रारंभ में ही प्रो. एल. कारुण्यकरा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक एफ नं. वी 11014 / 11 / 04–सीडीएन दिनांक 19 जुलाई 2004 का हवाला देकर कहा कि विद्या–परिषद् की यह बैठक नहीं हो सकती। उनसे उक्त पत्र की कॉपी प्रस्तुत करने के लिए कहा तो उन्होंने [illegible] किया कि उक्त पत्र की प्रति उनके पास उपलब्ध नहीं है। विद्या–परिषद् के 27 उपस्थित सदस्यों में से 26 ने प्रो. कारुण्यकरा के [illegible] विरोध किया और कार्यवाही जारी रखने [illegible]

कारूण्यकरा ने उक्त प्रस्ताव के निरस्त होने पर विद्या–परिषद् से बाहर जाने की अनुमति मांगी और अध्यक्ष ने उन्हें यह अनुमति दे दी।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–

विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक 09 अगस्त 2012 को भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– अनुमोदित

02. विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई।

विद्या–परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 09 अगस्त 2012 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मद सं.	विवरण	की गयी कार्रवाई
03	विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट. की उपाधि दिये जाने संबंधी अध्यादेश का प्रारूप विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णय :– अनुमोदित**	अनुपालित
05	प्रतिकुलपति महोदय ने कई सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जाना है:– 1. एम. फिल. संबंधी अध्यादेश बनाकर विद्या–परिषद् में पारित किया जाये। (अध्यादेश का प्रारूप संलग्न) 2. पी–एच. डी. अध्यादेश संख्या 8.2 संशोधित किया जाये। (संशोधन का प्रारूप संलग्न) 3. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 04 नये पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव तथा ई–लर्निंग का प्रस्ताव। 4. सामूहिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) संचालित करने का प्रस्ताव। **निर्णय : उक्त सुझावों पर सभी सदस्य अपनी राय प्रस्तुत करें।**	पत्रांक : 005/2004/वि.प./17/12/474 दिनांक 03–09–2012 जारी किया गया। बिंदु 2.2 पर प्राप्त सुझावों की प्रति संलग्न।
09	मराठी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन दिया कि वे अपरिहार्य कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ सके अतः उनकी जमा की गयी राशि को अगले सत्र के लिए स्वीकृत कर अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 5.1 (I) के अनुसार ऐसे प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष रखने का प्रावधान है अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत। निर्णय : शुल्क जमा करने की अनिवार्यता के साथ अनुमोदित।	अनुपालित
	[illegible] ने पी–एच. डी. का [illegible] जमा कर दिया है तथा 28 फरवरी 2012 को	

	सफलतापूर्वक मौखिकी संपन्न हो गयी। विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2012 के कार्यवृत्त की मद संख्या 01 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में सुश्री चित्रा माली को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान किये जाने को अनुमोदनार्थ विद्या–परिषद् के समक्ष रखा जा रहा है। **निर्णय : अनुमोदित।**	
11	विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के मद संख्या 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसरण सभी विद्यापीठों में इस विषय पर राय मांगी गयी। जिसके प्रत्युत्तर में निदेशक, प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र, विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग तथा कार्यकारी निदेशक, बौद्ध अध्ययन केंद्र से ही सिफारिशें प्राप्त हुई। प्रकरण को विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा जा रहा है। **निर्णय : उक्त उल्लेखित विभागों को छोड़कर अन्य विभाग/केंद्र अपनी राय प्रस्तुत करें।**	प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ संलग्न
12	विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी कई विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का आवेदन दिया था। समस्त आवेदनों को कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों के अकादमिक भविष्य को ध्यान में रखकर कुलपति महोदय ने रिक्त सीटों वाले पाठ्यक्रमों में 100 रूपये विलंब शुल्क लेकर प्रवेश देने का निर्देश दिया। उक्त प्रकरण विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **निर्णय : अनुमोदित।**	अनुपालित
13	विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पत्रांक स्था/830/2012/म.ग.अ.हि.वि. दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुसरण में पी–एच. डी. अध्यादेश में शैक्षणिक कर्मियों को लिखित परीक्षा में छूट देने के प्रावधान को शामिल किया जाना है। विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभिमत प्राप्त किया जाये।**	पत्रांक : 005/2004/वि.प./12/470 दिनांक 03–09–2012 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजा गया। अनुस्मारक 24–07–2013 को भेजा गया।
14	अकादमिक सत्र 2012–13 के लिए प्रवेश आवेदनों की छँटनी के लिए गठित समिति ने कई सुझाव दिये। 1) संबंधित विषय में एम. फिल. उत्तीर्ण आवेदक को पी–एच. डी. की लिखित परीक्षा में छूट दिया जाये। 2) नेट/सेट/जेआरएफ उत्तीर्ण आवेदकों को एम.फिल. में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा से छूट दी जाये। **निर्णय :** नेट/जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एम.	अनुपालित

	फिल./पी–एच. डी. की लिखित परीक्षा से छूट दी जाये।	
15	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता तथा संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. अनिल कुमार राय 'अंकित' के पत्रांक 26/2004/सीसीएमएस/3557/2012 दिनांक 02 अगस्त 2012 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द्र पाठक को पी–एच. डी. की उपाधि प्रदान किया जाना है। शोधार्थी की मौखिकी 26 अप्रैल 2012 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। केंद्र की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 08 अगस्त 2012 की मद संख्या 02 पर उन्हें पी–एच. डी. उपाधि दिये जाने का निर्णय लिया गया जो विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
16	डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र के प्रभारी अध्यक्ष ने बौद्ध अध्ययन में एम. फिल. तथा पी–एच. डी. आरंभ करने तथा पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने संबंधी प्रस्ताव दिया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। निर्णय : अनुमोदित।	प्रभारी विभागाध्यक्ष के पत्रांक ... 024/2008/बौ.अ.क्रे.जा.क्र./526 दिनांक 10–04–2013 के अनुसरण में अकादमिक सत्र 2013–14 में केवल एम. फिल. आरंभ किया गया।
17	मानवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने पी. जी. डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस का संशोधित पाठ्य–विवरण स्कूल बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्तुत किया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। निर्णय : उक्त प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।	विभाग द्वारा कुलपति महोदय से स्कूल बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदन लिया गया।
18	भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष ने एम. ए. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम की संरचना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो विद्या–परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। निर्णय : उक्त प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव को विभाग ने पत्रावली पर प्रस्तुत कर कुलपति महोदय से अनुमोदन लिया जिसे कुलपति महोदय ने कार्योत्तर स्वीकृति हेतु रखने का निर्देश दिया।
21	दूर शिक्षा निदेशालय से आईकेसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया है। निर्णय : सैद्धाँतिक रूप से अनुमोदित।	प्रो. संतोष भदौरिया द्वारा प्रेषित टिप्पणी अवलोकनार्थ संलग्न।
24	छात्र/शोधार्थी प्रतिनिधि श्री धनजी प्रसाद ने विद्यार्थियों/शोधार्थियों की विभिन्न समस्याओं और [illegible] पर आधारित 11 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया है [illegible] विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। [illegible] की परीक्षा देने में आवेदन [illegible] [illegible] सामने हो रही समस्याओं को देखते	

हुए विश्वविद्यालय को नेट/जेआरएफ परीक्षा केंद्र बनाये जाने का यूजीसी को प्रस्ताव दिया जाये। **निर्णय :— कुलपति महोदय ने सूचित किया कि प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विचाराधीन है।**	
2. विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शोधार्थियों को वर्धा के सरकारी चिकित्सालयों (कम से कम सेवाग्राम चिकित्सालय) में इलाज कराने पर विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, जैसा कि दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है और इस विश्वविद्यालय द्वारा भी पहले किया जाता था। **निर्णय :— इस संबंध में महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम से जानकारी प्राप्त कर कार्ड की राशि, नियमित वार्षिक शुल्क में जोड़कर कार्रवाई की जा सकती है।** **—डीन, छात्र कल्याण सभी विश्वविद्यालयों में जारी चिकित्सा सुविधा की जानकारी प्राप्त करें।**	2. पत्रांक : 005/2004/वि. प/17/12/469 दिनांक 03—09—2012 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सेवाग्राम को भेजा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र प्राप्त हुआ। अवलोकनार्थ संलग्न।
3. एम. फिल/पीएच. डी. में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने पर यदि कोई स्थान रिक्त रह जाये तो संबंधित स्थान हेतु प्रतीक्षा सूची जारी की जाये। **निर्णय :— एम. फिल. की प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है।** **पी—एच. डी. हेतु भी प्रतीक्षा सूची जारी की जाये।**	3. अनुपालित
4. शोध—प्रबंध जमा करने के पश्चात मौखिकी की अधिकतम समय—सीमा तय की जाये। **निर्णय :— भविष्य में प्रयास किया जायेगा।**	
5. सभी छात्र—छात्राओं, शोधार्थियों हेतु छात्रावास का समुचित प्रबंध किया जाये। जिन शोधार्थियों का पी एच. डी. द्वितीय वर्ष हो, कम से कम उन्हें एकल कक्ष की व्यवस्था की जाये। **निर्णय :— स्थान की समस्या के कारण अभी संभव नहीं। स्थान उपलब्ध होने पर भविष्य में विचार किया जायेगा।**	
6. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) से जुड़े छात्रों/शोधार्थियों को उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आवेदन एवं साक्षात्कार के समय होने वाली समस्याओं को देखते हुए पाठ्यक्रम का नाम केवल "भाषा प्रौद्योगिकी" कर दिया जाये। **निर्णय :— सभी सदस्य अपनी राय से अवगत करायें।**	6. प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ संलग्न।
7. छात्र/छात्राओं/शोधार्थियों के केवल विषय के ज्ञान के बजाय उनमें बहुमुखी प्रतिभा के विकास हेतु यदि इस विश्वविद्यालय में यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था हो सके तो शैक्षिक माहौल एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। **निर्णय :— डीन, छात्र कल्याण इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।**	7. संकायाध्यक्ष को पत्रांक : 005/2004/वि.प. /17/12/147 दिनांक 21—03—2013 भेजा गया। प्राप्त प्रस्ताव संलग्न।
8. विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह रेलवे आरक्षण केंद्र खोला जाये क्योंकि छात्र को टिकट के लिए स्टेशन [illegible] छात्राओं को स्टेशन जाने में [illegible] करना पड़ता है और [illegible] मुश्किल से ही टिकट [illegible] निर्णयः— इस संबंध में रेलवे [illegible] को प्रस्ताव भेजा जाये।	8. प्रबंधक, नागपुर रेल मंडल को पत्रांक : 005/2004/वि.प /17/12/467 दिनांक 03—09—2012 भेजा गया। अनुस्मारक 24—07—2013 को भेजा गया।

	9. केंद्रीय डाकघर में कुछ पत्रों जैसे साक्षात्कार आदि के लिए आये पत्रों के बारे में तिथि समाप्त होने के बाद पता चल पाता है। अतः विश्वविद्यालय को जो डाकघर मिला है उसे छात्रावास एवं निवास संबंधित पत्रों को प्रति व्यक्ति/घर तक पहुंचाने दिया जाये एवं कार्यालयी पत्रों को केंद्रीय डाक घर में मंगाया जाये। **निर्णय :— विद्यार्थियों की डाक अलग तथा कार्यालय की डाक अलग भेजने हेतु डाकघर को पत्र लिखा जाये।** 10. दोहरी डिग्री (हार्वर्ड विश्वविद्यालय) में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। क्या यह अपने विश्वविद्यालय में किया जा सकता है? पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय की विशिष्ट छवि है अतः हमारे विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ऐसी विशिष्ट सेवायें देते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप एवं विशिष्टता को बनायें रखने के लिए कुछ अन्य सेवायें जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए। **निर्णय :— कुलपति महोदय ने जानकारी दी कि कुलपतियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू और क्रेडिट हस्तांतरण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मंत्रालय के पास विचाराधीन है।**	9. अनुपालित 10. मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मंत्रालय में विचाराधीन
	11. विद्या परिषद् की 17वीं बैठक में शोधार्थी प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों का पुनः उल्लेखः- (क) आइएसएसएन पंजीयनयुक्त उच्च मानकता प्राप्त शोध जर्नल के प्रकाशन कार्य किया जाये। (ख) छात्रावास संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक एवं विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (परिसर विकास) प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार सूचित करके छात्रावासों का भ्रमण करें। **निर्णय :— हर महीने के पहले सप्ताह में कुलानुशासक, छात्रावास अधीक्षक एवं विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (परिसर विकास) छात्रावासों का निरीक्षण करें।**	11. अनुपालित
25	क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद के प्रभारी प्रो. संतोष भदौरिया ने इलाहाबाद केंद्र से 'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान' तथा 'उर्दू भाषा' में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है जिसे विद्या--परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
26	अनुरक्षक भत्ता (Escort Allowance) दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जाये।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा। विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त [illegible] सलग्न।

निर्णय :— [illegible] ग्रहण की।

03. साहित्य विभाग के शोधार्थी श्री अनूप तिवारी को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में सत्र 2008–2009 में पीएच. डी. में पंजीकृत शोधार्थी श्री अनूप कुमार तिवारी का पंजीयन 18 फरवरी 2011 की शोध उपाधि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कार्यालय आदेश 16/2010/RDC/25/106 दिनांक 25–02–2011 के द्वारा निरस्त किया गया था।

शोधार्थी ने अपने आवेदन दिनांक 20–03–2013 के माध्यम से कम से कम समय में शोध प्रस्तुत करने का निवेदन किया। आवेदन को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिस पर साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष ने टिप्पणी दी कि शोधार्थी के अकादमिक हित एवं करियर को ध्यान में रखते हुए चार माह के अंदर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है जिस पर अगली शोध उपाधि समिति की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति ली जा सकती है।

उक्त टिप्पणी के आलोक में कुलपति महोदय ने प्रकरण को विद्या परिषद् में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित

04. डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र में पाठ्यक्रम निर्माण समिति का प्रस्ताव।

डॉ. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा एक वर्षीय "डॉ. अम्बेडकर विचारधारा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" आरंभ करने हेतु पाठ्यक्रम निर्माण समिति का प्रस्ताव पत्रावली पर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कुलपति महोदय ने विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– डॉ. अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तावित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य बाह्य सदस्यों को भी समिति में शामिल किया जाए।

05. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित दस्तावेजों के रखरखाव की समय सीमा के निर्धारण का प्रस्ताव।

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं, परीक्षा आवेदन, उपस्थिति पत्रक, प्रवेश आवेदन, सत्रीय कार्य आदि के रखरखाव हेतु समय सीमा का निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रति–कुलपति और निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर इस विषय में उन्हें पूरे प्रकरण का अध्ययन कर अपनी संस्तुति देने के लिए निर्देशित करें। यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट विद्या–परिषद् के समक्ष रखेगी।

06. विश्वविद्यालय में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक डी.ओ. संख्या–19–5/2008–डेस्क (यू) दिनांक 20–04–2008 के [illegible] से प्राप्त हुआ जिसके अनुपालन में प्रथम चरण में एम. ए. स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 09 [illegible] निर्देशानुसार बढ़ायी गयी जिसे विद्या परिषद की 10वीं बैठक में मद संख्या 02 पर [illegible] किया गया।

द्वितीय चरण में कुल निर्धारित सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट जोड़ने पर सीटें 28 हो गयी। मंत्रालय के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित सीटों में परिवर्तन न करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाना था अतः उक्त निर्देश का पालन करते हुए एम. ए. में सामान्य वर्ग के लिए 15 सीटें प्रभावित न हो इसलिए 30 सीटें निर्धारित करने प्रस्ताव पत्रावली पर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी तरह एम. फिल. में सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित सीटों को प्रभावित न करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने हेतु कुल सीटों को 15 किये जाने का प्रस्ताव कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कुलपति महोदय ने पत्रावली पर प्रकरण को विद्या परिषद् में रखने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया ।

निर्णय :– कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

07. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव का प्रस्ताव।

मानवविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने अपने पत्रांक 51/2012/सा.प.व्य./002/604/13 दिनांक 04 मार्च 2013 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक डी. ओ. संख्या–14–15/2001(सीपीपी–2) दिनांक 18 जनवरी 2013 का उल्लेख करते हुए काउंसिल के सुझावों को विद्या परिषद् में रखने का आग्रह किया है।

उक्त पत्र में 17 दिसंबर 2012 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया–

Human Rights issues and Human Values need to be sensitized among the students. The commission further decided that the technology and science students should be asked to take courses under humanities and social sciences also as part of their curriculum. The University may be requested to take necessary further action in the matter.

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– विद्या–परिषद् ने निर्णय लिया कि कोलकाता केंद्र में निम्नलिखित 2 पाठ्यक्रम इसी सत्र से प्रारंभ किए जाएं।

1. वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
2. मानव अधिकार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

08. प्रवेश संबंधी शुल्क को पूर्णांक करने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2013–14 के लिए प्रवेश संबंधी निम्न शुल्कों को संशोधित कर पूर्णांक किया गया :–

क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (जनसंचार संबंधित) – 1655 रूपये संशोधित कर 1650 रूपये।

ख) परिचय पत्र शुल्क – 20 रूपये से 25 रूपये।

विद्या परिषद् में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु रखने का उल्लेख करते हुए उक्त प्रकरण को कुलपति महोदय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी। जनसंचार संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुल्क 1655 से 1660 रूपये तथा परिचय पत्र शुल्क को 25 रूपये रहने दिया जाये।

09. अनुवाद विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 31 दिसंबर 2012 का कार्यवृत्त।

अनुवाद विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 31 दिसंबर 2012 में मद संख्या 01 पर **डॉ. रामप्रकाश यादव** को पीएच. डी. शोध निदेशक के रूप स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को विद्या परिषद् में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 02 पर शोधार्थी **श्री गिरीण कठाणे** को पीएच. डी. उपाधि दिये जाने की संस्तुति देते हुए विद्या परिषद् मे रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 03 पर शोधार्थी **सुश्री मुरूकुट्ल मंजुला** को पीएच. डी. उपाधि दिये जाने की संस्तुति देते हुए विद्या परिषद् में रखने का निर्णय लिया गया।

साथ ही 16 जुलाई 2013 को सम्पन्न शोध उपाधि समिति की बैठक के मद संख्या 04 पर **सुश्री कल्याणी भैंसारे** तथा **श्री अभिजीत पायें** को पीएच. डी. उपाधि प्रदान करने हेतु विद्या परिषद् में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश 2009 को उपाधिपत्र (डिग्री) के पार्श्व–पृष्ठ (Backside) पर अंकित किया जाये।

This is to certify that ---------- has been awarded the degree fo Doctor of Philosophy of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha in the year----

The above mentioned degree of Doctor of Philosopgy of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha complies with six out of ten provisions of UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 and the University Grants Commission, vide resolution No. 2.06 (i), taken in its 472nd meeting held on 27th September 2010, as available on its website, interalia, resolved as under:

All those who were admitted for the Ph.D. degree prior to 11th July, 2009 would be exempted from NET requirement only if they satisfy 6 out of the 10 criteria laid down for admission to Ph.D. outlined in the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation 2009 as framed by the UGC Standing Committee on Ph.D. Regulation 2009. These would be verified at the University level for compliance of these critarica as per the Commission recommendation communicated already in letter No. 1-1/2002(PS)/Pt. F-III dated 27th August, 2009.

10. **महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र में पीएच. डी. प्रारंभ करने का प्रस्ताव।**

महात्मा गांधी फ्यूजी गुरूजी शांति अध्ययन केंद्र में अकादमिक सत्र 2013–14 से पीएच. डी. प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया। केंद्र ने 05 सीटों के लिए विज्ञापन देने का प्रस्ताव कुलपति महोदय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत किया।

कुलपति महोदय ने चार सीटें विज्ञापित कर इसे विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु रखने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

11. **साहित्य विभाग के पीएच. डी. शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव।**

साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त पत्रांक सा.वि./जा./506/म.गां.अ.हि.वि.वि./2012 दिनांक 27–12–2012 के अनुसार साहित्य विभाग के निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि प्रदान की जानी है–

क) सुश्री ऋतुजा सक्सेना
ख) श्री कमलेश कुमार यादव
ग) श्री संतोष कुमार राय
घ) सुश्री हरप्रीत कौर

उक्त प्रकरण पर विभाग की शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 24–08–2012 को मद संख्या 03 पर निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित। पीएच. डी. के शोधार्थियों को विद्या परिषद् के अनुमोदनोपरांत अस्थायी डिग्री (Provisional Degree) प्रदान की जाये।

12. **विकलांग विद्यार्थियों को सुविधायें देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 6–6/2012(एससीटी) दिनांक 26 अक्टूबर 2012 के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने अपनी विवरणिका सत्र 2011–12 विकलांगो के लिए सीट में तीन प्रतिशत की छूट के अलावा निम्न सुविधायें प्रदान करता है:–

क) शुल्क माफ

ख) मेस एवं पुस्तकालय में विद्युतचालित कुर्सी

ग) मुफ्त आवास, भोजन एवं वाहन

उक्त प्रकरण को पत्रावली पर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– शिक्षण (Tution) शुल्क माफ किया जाये तथा पूर्णतः निःशक्तजनों के लिए बैटरी चालित व्हीलचेयर की व्यवस्था करने पर विचार किया जाये।

13. **इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पी.जी. डिप्लोमा के अनुदान के संबंध में।**

1. कुलसचिव महोदय के पत्रावली पर दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है। पी. जी. डिप्लोमा इन इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के लिए प्राप्त अनुदान 16.45 लाख रूपये को रोके रखने तथा उसका उपयोग अकादमिक सत्र 2013–14 में करने की टिप्पणी वित्ताधिकारी ने पत्रावली पर दी। जिस पर कुलसचिव महोदय ने अकादमिक विभाग को निर्देश दिया कि प्रकरण को विद्या परिषद् में रखें।

2. पी.जी. डिप्लोमा इन इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स संबंधी बैठक दिनांक 17–07–2013 को कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रतिकुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– इंडियन एंड वेस्टर्न आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पी.जी. डिप्लोमा के लिए एम.ए., एम. फिल तथा पीएच.डी के सभी छात्रों को पार्ट टाइम अध्ययन के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त प्रति–कुलपति कक्ष में 17.07.2013 को संपन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त को विद्या–परिषद् ने अनुमोदित किया।

14. **स्त्री अध्ययन विभाग में पीएच. डी. शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल का पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव।**

स्त्री अध्ययन विभाग में सत्र 2008–09 के पीएच. डी. शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल को स्त्री अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष ने दिनांक 06–11–2012 को एक पत्र प्रेषित किया कि वे एक वर्ष से विभाग में अनुपस्थित हैं, अतः उनका पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया की जाये?

उक्त पत्र का जवाब नहीं देने पर विभागाध्यक्ष ने पुनः 22 नवंबर 2012 को शोधार्थी को स्मरण पत्र भेजा जिसमें शोधार्थी से पूछा गया कि क्यों वे विभाग से निरंतर अनुपस्थित हैं।

उक्त प्रकरण पर विभागाध्यक्ष ने शोधार्थी के शोध निदेशक से पत्रांक :स्त्री/जा/110/म.ग.अ.हि.वि/2013 दिनांक 05 मार्च 2013 के माध्यम से टिप्पणी मांगी। जिस पर शोध निदेशक ने 07 मार्च 2013 को अपनी टिप्पणी प्रेषित की कि शोधार्थी पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य सत्य प्रतीत होता है और इस संबंध में विभाग नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है।

इन पत्राचार के दौरान शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल ने दिनांक 26–11–2012, 31–12–2012, 07–02–2013, 21–02–2013, 25–02–2013, 13–03–2013, 17–03–2013, 19–03–2013, 03–06–2013 तथा 20–06–2013 के द्वारा विभिन्न प्रकार की बातें, आरोप और मांगें की गयी।

दिनांक 26–11–2012 तथा 31–12–2012 के अपने पत्र में शोधार्थी ने किसी नकारात्मक सोच बढ़ने और अनुचित घटना घटित होने की धमकी दी। उक्त पत्रों को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर विभागाध्यक्ष की टिप्पणी ली गयी। विभागाध्यक्ष की टिप्पणी के आलोक में कुलपति महोदय ने पुलिस अधीक्षक वर्धा को पत्र लिख आत्महत्या की धमकी की जानकारी देने का निर्देश दिया गया। जिसके अनुसरण में पत्रांक : 005/2009/डब्ल्यू. एस./10(3–2)2012/150 दिनांक 25–03–2013 को पुलिस अधीक्षक वर्धा को इस बात की जानकारी दी गयी।

कुलसचिव ने स्त्री अध्ययन के विभागाध्यक्ष को पत्रांक : 005/2009/डब्ल्यू. एस./10(3–2)2012/190 दिनांक 25–04–2013 द्वारा शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल के पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया।

उक्त पत्र के आलोक में स्त्री अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष ने पत्रांक : स्त्री/जा/265/म.ग.अ.हि.वि.वि./2013 दिनांक : 11 जुलाई 2013 के माध्यम से शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल का पीएच. डी. में पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– स्त्री अध्ययन विभाग के शोधार्थी श्री सुरेन्द्र मनोहरराव श्यामकुल का पीएच. डी. पंजीयन निरस्त किया जाये।

15. संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के शोधार्थियों को पीएच. डी. उपाधि देने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक के पत्रांक 26/2004/सीसीएमएस/3727/2012 दिनांक 20–11–2012 के अनुसार शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 19 नवंबर 2012 की मद संख्या 06 पर समिति ने निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि प्रदान करने हेतु विद्या परिषद् के समक्ष रखने का निर्णय लिया:–

1. सुश्री दीप्ती दाधीच
2. श्री हिमांशु नारायण

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

16. अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग के शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि देने का प्रस्ताव।

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष के पत्रांक : अहिंसा/जा.क्र./682 दिनांक 21–11–2012 के अनुसार शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 14 सितंबर 2012 की मद संख्या 04 तथा 05 पर निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि देने हेतु विद्या परिषद् में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया :–

1. सुश्री सुनीता कुमारी चौरसिया
2. श्री [illegible] कुमार सिंह

विभागाध्यक्ष ने पत्र दिनांक 12–07–2013 के माध्यम से 21 फरवरी 2013 को सम्पन्न शोध उपाधि समिति की बैठक कार्यवृत्त प्रस्तुत किया जिसके मद संख्या 08 से लेकर 11 पर समिति ने निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि देने हेतु विद्या परिषद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया:–

1. सुश्री अर्चना पाठ्या
2. श्री नाना ईसाम्बर कांबले
3. श्री विलास महादेवराव वाणी
4. श्री मोतीकपूर माणिक मून

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– अनुमोदित।

17. अकादमिक सत्र 2006–07 के पीएच. डी. शोधार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. /पीएच. डी. के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) दिशा निर्देश 2009 के अनुसार ही उनका शोध कार्य सम्पन्न हुआ है। उक्त आशय का प्रमाण पत्र देने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा अकादमिक सत्र 2006–07 के दो शोधार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में परीक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक : एफ. नं. 1–1/2002(पीएस) पार्ट फाइल–3 दिनांक 28–08–2009 संलग्न किया।

उक्त पत्र के आलोक में कुलपति महोदय ने प्रकरण को विद्या परिषद् में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

18. अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पुनर्गठन का प्रस्ताव।

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष के पत्रांक : अनु/अधि/1171 दिनांक 10 जून 2013 के अनुसार अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। जिसे अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 10 मई 2013 तथा स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 25 मई 2013 समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदित किया गया।

पुनर्गठित पाठ्यक्रम के लिए 26–28 अप्रैल 2013 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– अनुमोदित।

19. भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक एवं नवीं बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ रखने हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

20. सृजन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सृजन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 30 जनवरी 2013 का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

21. **केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परिषद की बैठक दिनांक 25–10–2012 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का प्रस्ताव**

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परिषद की बैठक दिनांक 25–10–2012 में लिये गये निर्णय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्रांक एफ. 15–4/2012(सीयू) दिनांक 29–01–2012 को कुलसचिव कार्यालय ने पत्रावली में प्रस्तुत किया जिसे कुलसचिव ने विद्या परिषद् में रखने का निर्देश दिया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– क्रेडिट हस्तांतरण पर विचार करने हेतु माननीय कुलपति की अध्यक्षता में **Equivalance Committee** का गठन किया जाये जिसमें सभी संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे और संबंधित समिति आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सदस्य नामित कर सकेगी।

22. **नवीन परीक्षा प्रश्नपत्र प्रणाली का प्रस्ताव।**

परीक्षा विभाग ने अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठित पाठ्यक्रम की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें परीक्षा एवं प्रश्नपत्र निर्माण संबंधी प्रस्ताव सुझाये गये हैं।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित–

1. दीर्घउत्तरीय/वर्णनात्मक प्रश्नपत्र में शब्दों की कोई सीमा नहीं की जाये।
2. लघुउत्तरीय प्रश्नपत्र में शब्दों की सीमा 200 तथा अतिलघुत्तरीय की शब्द सीमा 50 निर्धारित की जाये।
3. बाह्य लिखित परीक्षा (External Written Assesment) के लिए 75 प्रतिशत अंक तथा आंतरिक परीक्षा (Internal Assesment) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किया जाये।

23. **कोलकाता केंद्र में वेब–पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम इसी सत्र से आरंभ करने का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के कोलकाता केंद्र के प्रभारी ने पत्रांक आरसी/केएलके/128/2013 दिनांक 18 जुलाई 2013 के द्वारा कोलकाता केंद्र में वेब–पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम इसी सत्र से आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। इस संदर्भ में मद संख्या 07 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

24. **डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र में पीएच. डी. स्थगित करने का प्रस्ताव।**

डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र के प्रभारी अध्यक्ष ने पत्रांक 024/2008/बौ.अ.के.जा.क.–526 दिनांक 10–04–2013 के माध्यम से अकादमिक सत्र 2013–14 में संचालित किये जाने वाले पीएच. डी. बौद्ध अध्ययन को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया जिसे अकादमिक विभाग ने कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त पाठ्यक्रम को सूचना क्रमांक 005/2009/सीबीएस/10(3–7)/2012/192 दिनांक 25–04–2013 के माध्यम से निरस्त किया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :– कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।

25. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा (Preparatory) उत्तीर्ण होकर स्नातक में अध्ययनरत विद्यार्थी को दसवीं/बारहवीं उत्तीर्ण माने जाने का प्रस्ताव।

स्थापना एवं प्रशासन विभाग में कार्यरत एमटीएस ने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा (Preparatory) उत्तीर्ण होकर स्नातक में अध्ययनरत विद्यार्थी को दसवीं/बारहवीं उत्तीर्ण माने जाने का आवेदन स्थापना एवं प्रशासन विभाग में दिया ताकि उसे पदोन्नति हेतु योग्य माना जाये। उक्त प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिस पर कुलसचिव ने विद्या परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ रखने का निर्देश दिया। इस संबंध में महाराष्ट्र शासन का आदेश भी प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– **Equivalance Committee** में रखा जाये।

26. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ से संबंधित प्रस्ताव।

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता ने पत्रांक 26/2004/मा.सा.वि.वि./01/2013 दिनांक 22–07–2013 के माध्यम से निम्न प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है:–

1. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 18 जुलाई 2013 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
2. कोलकाता केंद्र में कोई भी एक पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव। *इस आशय का प्रस्ताव कोलकाता केंद्र के प्रभारी के पत्र के अनुसरण में मद संख्या 23 पर भी प्रस्तुत किया गया है।*
3. सत्र 2009–10 के शोधार्थियों **सुश्री दीप्ती दाधीच** एवं **हिमांशु नारायण** को पीएच. डी. उपाधि देने का प्रस्ताव। *इस आशय का प्रस्ताव अधिष्ठाता ने पूर्व में अपने पत्रांक 26/2004/सीसीएमएस/3727/2012 दिनांक 20–11–2012 के द्वारा भेजा था जिसे इस कार्यसूची की मद संख्या 15 पर भी प्रस्तुत किया गया है।*
4. सत्र 2006–07 के शोधार्थियों **श्री विनय भूषण** तथा **श्री अमित विश्वास** को पीएच. डी. उपाधि देने का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

27. साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ।

साहित्य विद्यापीठ के अधिष्ठाता ने पत्रांक सा.वि./जा./32/म.गं.अ.हि.वि./2013 दिनांक 18–07–2013 के माध्यम से साहित्य विद्यापीठ की स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक 17 जुलाई 2013 का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

28. विद्या परिषद् के छात्र प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।

विद्या परिषद् के छात्र प्रतिनिधि ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये है:–

1. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का विस्तार।
2. छात्रावास में इंटरनेट की समस्या का समाधान।
3. परिसर में रेल आरक्षण काउंटर की सुविधा।
4. [illegible] (हिंदी व अंग्रेजी) परीक्षा प्रश्न [illegible]
5. [illegible] में खेल सामग्री, कॉमन [illegible]
6. महिला छात्रावास में अभिभावक कक्ष की सुविधा।

7. विभागीय पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की सुविधा।
8. नागपुर के लिए शनिवार तथा रविवार को नियमित बस सेवा।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :–

1. पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाये।
2. लीला द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाये।
3. संभव नहीं है।
4. विश्वविद्यालय के उददेश्य तथा मूलभूत चरित्र के मददेनजर संभव नही।
5. कुलानुशासक तथा छात्रावास वार्डन इसका समाधान निकाले।
6. महिला छात्रावास के सामने बन रहे पार्किंग स्थल पर सुविधा दी जायेगी। गोरस भंडार, जनरल स्टोर तथा फोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा।
7. अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्ष आवश्यक कार्रवाई करे।
8. सुविधा दी जायेगी।

29. डायस्पोरा अध्ययन विभाग संबंधी विभिन्न प्रस्ताव।

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष ने पत्रांक : अनु/अधि/03 दिनांक 24–07–2013 के माध्यम से डायस्पोरा अध्ययन विभाग से संबंधित निम्न प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया है:–

1. डायस्पोरा विषय में एम. ए. पाठ्यक्रम आरंभ करना
2. डायस्पोरा विषय में पीएच. डी आरंभ करना
3. **डॉ. राजीव रंजन राय** को शोध निर्देशक की मान्यता देने का प्रस्ताव

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

30. विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव संबंधी लिंग्दोह समिति की रिपोर्ट के अनुपालन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव आयोजित करने हेतु लिंग्दोह समिति की सिफारिशों का अनुपालन करना है। पत्र में संलग्न समिति की रिपोर्ट की बिंदु संख्या 6.2.1 का अनुपालन किया जा सकता है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– प्रो. मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें कुलानुशासक तथा डॉ. सुरजीत सिंह को शामिल किया जाये। समिति लिंग्दोह समिति तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर छात्रसंघ चुनाव संबंधी दिशा–निर्देश, आचार संहिता तथा चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

31. अनुवाद विभाग के पाठ्यक्रमों, उपाधियों एवं प्रमाणपत्रों के नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव।

अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष ने पत्रांक अनु/सा.प./2044 दिनांक 26–07–2013 के माध्यम से एम.ए, एम.फिल, पीएच. डी. तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नामा से हिंदी शब्द हटाकर अनुवाद प्रौद्योगिकी नाम किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

32. साहित्य विभाग के पीएच. डी. शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव।

साहित्य विभाग के अध्यक्ष के पत्रांक सा.वि./जा/830/म.ग.अ.हि.वि./2013 दिनांक 25–07–2013 के माध्यम से निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि देने का प्रस्ताव प्रेषित किया है:–

1. श्री शशिभूषण सिंह
2. श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा
3. श्री राम बिहारी तिवारी
4. श्री मन्नू राय
5. श्री जाकिर हुसैन
6. सुश्री निड.थौजम प्रियोबती देवी
7. श्री भंवर लाल मीणा
8. श्री हिरण्य हिमकर
9. श्री शिवप्रिय
10. श्री रामगोपाल मीणा

उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्ररतत किया गया।

निर्णय :– अनुमोदित।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

33. अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग के पीएच. डी. शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव।

अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्यक्ष ने पत्रांक निरंक दिनांक 26–07–2013 के माध्यम से निम्न शोधार्थियों को पीएच. डी. की उपाधि देने का प्रस्ताव प्रेषित किया।

1. सुश्री विजय लक्ष्मी पाटिल
2. सुश्री माधुरी रामचंद्र ईखार
3. श्री दुलार बाबू ठाकुर

निर्णय :– अनुमोदित।

34. संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत तीन विभाग/केंद्र के अध्ययन मंडल का कार्यवृत्त रखने का प्रस्ताव।

संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता ने पत्रांक 03/एससी/2013 दिनंक 24–07–2013 के माध्यम से अहिंसा एवं शांति अध्ययन, डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र तथा महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र के अध्ययन मंडल का कार्यवृत्त विद्या परिषद् में रखने हेतु यह कहते हुए प्रेषित किया कि चूँकि संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत स्कूल बोर्ड का गठन नही किया जा सका है। जिसे अध्यक्ष की अनुमति से विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– स्कूल बोर्ड के गठन न होने के कारण विशेष परिस्थिति मे अनुमोदित।

35. एम.फिल. तथा पीएच. डी. संबंधी अन्य प्रस्ताव।

विद्या परिषद् की बैठक के दौरान एम.फिल. तथा पीएच. डी. संबंधी कई प्रस्ताव आये जिन पर तत्काल निर्णय लिया गया।

निर्णय :–

1. एम. फिल. में प्रवेश के एक माह के भीतर शोधार्थियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक द्वारा शोध विषय तथा शोध निर्देशक तय कर इसकी सूचना अकादमिक विभाग को दी जाये।
2. एम. फिल. तथा पीएच. डी. के शोधार्थी अपने शोधप्रबंध पृष्ठ के दोनों ओर टंकित कर [illegible] सकते हैं।
3. [illegible] डी. शोध प्रबंध की एक–एक प्रति संबंधित विभाग, परीक्षा [illegible] तथा [illegible] में जमा कराया जाये।

36. अनुप्रयोगात्मक भाषाविज्ञान संबंधी प्रस्ताव।

विद्या परिषद् की बैठक के दौरान अनुप्रयोगात्मक भाषाविज्ञान का पाठ्यक्रम पर भी चर्चा की गयी।

निर्णय :– अनुप्रयोगात्मक भाषाविज्ञान का पाठ्यक्रम बोर्ड ऑफ स्टडीज और स्कूल बोर्ड में पुनरीक्षित और अनुमोदित कराकर विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये।

विद्या परिषद् के सभी उपस्थित सदस्यों ने माननीय कुलपति श्री विभूति नारायण राय के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय के विकास और अकादमिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों की सराहना की।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा अध्यक्ष एवं पदेन सचिव द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन करने से हुई।

***

पदेन सचिव
(कुलसचिव)
विद्या–परिषद